

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4703

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन हेतु प्रयुक्त स्रोत

4703. श्रीमती मेनका संजय गांधी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त स्रोतों का प्रतिशत-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विद्युत उत्पादन के लिए मौजूदा नवीकरणीय क्षमता का कम उपयोग हो रहा है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा देश की सीओपी 26 प्रतिबद्धताओं के आधार पर कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2022 तक) के दौरान संस्थापित क्षमता के स्रोत-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) : नवीकरणीय ऊर्जा को मस्ट रन के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष (जनवरी, 2022 तक) के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के स्रोत-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार, देश में कुल लगभग 152.899 गीगावाट (जीडब्ल्यू) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (वृहत् जलविद्युत सहित) संस्थापित की गई है। वर्ष 2030 तक वृहत् जलविद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 500 गीगावाट होने की संभावना है।

देश की सीओपी26 प्रतिबद्धता के आधार पर, कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिए, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय एवं परमाणु स्रोतों में और अधिक उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी। इस अभिवृद्धि से, कोयला आधारित उत्पादन क्षमता का हिस्सा दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार 51.5% से घटकर दिनांक 31.03.2030 तक 31.8% होने की संभावना है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4703 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2022 तक) के दौरान संस्थापित क्षमता के स्रोत-वार ब्यौरे

स्रोत/ईंधन	दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	क्षमता (मेगावाट)	% हिस्सा	क्षमता (मेगावाट)	% हिस्सा	क्षमता (मेगावाट)	% हिस्सा	क्षमता (मेगावाट)	% हिस्सा
थर्मल								
कोयला	203899.50	51.54	202674.50	53.04	198524.50	53.64	194444.50	54.60
लिग्नाइट	6620.00	1.67	6620.00	1.73	6610.00	1.79	6260.00	1.76
गैस	24899.51	6.29	24924.01	6.52	24955.36	6.74	24937.22	7.00
डीजल	509.71	0.13	509.71	0.13	509.71	0.14	637.63	0.18
थर्मल कुल	235928.72	59.64	234728.22	61.42	230599.57	62.31	226279.34	63.54
परमाणु	6780.00	1.71	6780.00	1.77	6780.00	1.83	6780.00	1.90
आरईएस								
जलविद्युत	46524.52	11.76	46209.22	12.09	45699.22	12.35	45399.22	12.75
आरईएस (एमएनआरई)								
लघु जल विद्युत	4839.90	1.22	4786.81	1.25	4683.16	1.27	4593.15	1.29
पवन विद्युत	40129.78	10.14	39247.05	10.27	37693.75	10.18	35625.97	10.00
-बीएम विद्युत/सह-उत्पादन	10175.61	2.57	10145.92	2.65	9875.31	2.67	9103.50	2.56
-वेस्ट टू एनर्जी	451.57	0.11	168.64	0.04	147.64	0.04	138.30	0.04
सौर विद्युत	50777.77	12.84	40085.37	10.49	34627.82	9.36	28180.71	7.91
आरईएस (एमएनआरई) कुल	106374.63	26.89	94433.79	24.71	87027.68	23.51	77641.63	21.80
आरईएस कुल	152899.15	38.65	140643.01	36.80	132726.90	35.86	123040.85	34.55
अखिल भारत कुल	395607.86	100.00	382151.22	100.00	370106.46	100.00	356100.19	100.00

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4703 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष (जनवरी, 2022 तक) के दौरान आरई उत्पादन के स्रोत-वार ब्यौरे

वर्ष	पवन	सौर	बायोमास	पराली	लघु जलविद्युत	अन्य	कुल नवीकरणीय ऊर्जा	वृहत् जलविद्युत*	वृहत् जल विद्युत सहित कुल आरई
2018-19	62036.38	39268.19	2763.82	13562.67	8702.75	425.28	126759.09	134893.61	261652.70
2019-20	64646.38	50131.09	2937.97	10804.46	9451.24	365.88	138337.02	155769.12	294106.14
2020-21	60149.95	60402.26	3512.98	11302.85	10258.41	1621.06	147247.51	150299.52	297547.03
2021-22 (जनवरी, 22 तक)	61525.49	57869.53	2867.92	8542.98	1875.76	9256.86	141938.54	133610.06	275548.60

* भूटान से आयात को छोड़कर वृहत् जलविद्युत उत्पादन

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4703 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;
- (ii) 30 जून, 2025 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर तथा पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों से छूट देना;
- (iii) नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई उपकेन्द्र क्षमता का सृजन करना;
- (iv) वर्ष 2022 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्टरी की घोषणा;
- (v) आरई विकासकर्ताओं को प्लग एंड प्ले आधार पर भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए आरई पार्कों की स्थापना करना;
- (vi) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप चरण-II, 12,000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम चरण-II आदि जैसी स्कीमें;
- (vii) सौर फोटो वोल्टायिक प्रणाली/उपकरणों की तैनाती के लिए मानक अधिसूचित करना;
- (viii) निवेश आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना;
- (ix) ग्रिड संबद्ध सौर पीवी तथा पवन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली हेतु मानक बोली दिशानिर्देश; और
- (x) सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि वितरण लाइसेंसियों द्वारा आरई उत्पादकों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए साख पत्र (एलसी) अथवा अग्रिम भुगतान के विरुद्ध विद्युत डिस्पैच की जाएगी।
